न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 09.06.2025

अपील संख्या 2025/113

उनवान

अकील मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल जमील, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
.... अपीलांट

बनाम

1. आशिक अली पुत्र श्री शौकत अली, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
2. किरण भाटी पुत्री श्री रमेश चन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
3. धर्मेन्द्र सोलंकी पुत्र श्री रमेशचन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
4. निलेश जैन पुत्र श्री पारसमल जैन, जाति जैन, निवासी डग, तहसील डग
5. प्रेमलता पत्नी श्री रमेशचन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
6. पीयूष कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द जैन, जाति जैन, निवासी डग, तहसील डग
7. मीना बाई पत्नी श्री संजय पुत्री श्री रमेशचन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
8. राहुल सौलंकी पुत्र श्री रमेशचन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
9. शबाना पत्नी श्री साजिद मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
10. रीना राठौर पुत्री श्री रमेशचन्द, जाति तैली, निवासी डग, तहसील डग
11. सायराबानों पत्नी श्री गुलाम रसूल, जाति मुसलमान, निवासी डग, तहसील डग
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आकिब अहमद अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 की ओर से, शेष रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 39/2024 निर्णय दिनांक 22.04.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कस्बा डग, तहसील डग जमाबंदी सं. 1924 की कृषि भूमि खसरा नं. 1356 रकबा 0.6450 हेक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है। इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

भूमि से लगवा अप्रार्थी अकिल मोहम्मद की भूमि खसरा नं. 1387/5 रकबा 0.1770 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 11 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था कि कस्बा डग, तहसील डग जमाबंदी संख्या–1924 की कृषि भूमि खसरा नं.–1386 रकबा 0.6450 हैक्टेयर है। जो कि रेस्पोडन्ट्स 1 लगायत 11 की लगानी खातेदारी की भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 11 इस भूमि के खातेदार कृषक है तथा इस भूमि से लगवा अपीलाण्ट की भूमि खसरा नं.–1387/5 रकबा 0.1770 हैक्टेयर स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 11 के खातेदारी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं.–1386 पर आने–जाने बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कृषि यंत्र आदि लाने–ले जाने का रास्ता अपीलाण्ट के खाते खसरा नं. –1387/5 के सेड़े (मेड़) पर होकर है जो 20 फीट चौड़ा है तथा रेस्पोडेण्ट्स 1 लगायत 11 द्वारा इस रास्ते का उपयोग अपनी जोत के संबंध में करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.03.2024 को पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय में सिद्धी प्राप्त तथ्यों सर्वथा विपरीत जाकर मनमर्जी रूप से विधि सर्वमान्य सिद्धान्तों को नजर अन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 लगायत 11 के पक्ष में एवं अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय एवं क्रियात्मक आदेश दिनांक 22.04.2025 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिससे व्यथित होकर निम्न कारणों व आधारो पर यह अपील सम्मानीय न्यायालय के समक्ष पेश है:–

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश विधिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों से सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम–9 का पति साजिद हुसैन भू–अभिलेख निरीक्षक है, जो तहसील डग में ही कार्यरत है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम–11 का पुत्र पटवारी है जिन्होंने रेस्पोडेन्ट्स के साथ मिली भगत करते हुए तथा रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए पटवारी हल्का डग द्वारा प्रदान मौका रिपोर्ट प्रभावित करी है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में आशिंक तौर पर झूठे व असत्य कथन लिखवा लिये कि "ना ही कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग है।" जबकि रेस्पोडेन्ट्स के खसरा नं.–1386 तक पहुंचने, आने–जाने के दो वैकल्पिक मार्ग पूर्व से ही मौजूद थे जिनमें से एक मार्ग खसरा नं.–1384 व खसरा नं.–1385 के मध्य वाले सेड़ा से होकर था जिस पर खसरा संख्या–1386 के पूर्व खातेदार वर्षों तक आवागमन करते रहे हैं जिसे वर्तमान में संबंधित खातेदारों द्वारा अवरूद्ध कर बंद कर दिया गया है तथा दूसरा मार्ग लगभग 25 फीट चौड़ा जो कि खसरा नं.–1383 से होकर खसरा नं.–1386 तक जाता है जो आज भी कायम है तथा प्रभावित एवं असत्य

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मौका रिपोर्ट जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिये थी, को आधार सूत्र बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय व क्रियात्मक आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की आराजी में से 51 मीटर लम्बा जो कि लगभग 167 फीट तथा 6 मीटर चौड़ा यानि लगभग 20 फीट का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जबकि कृषि कार्य के लिए 10 से 12 फीट चौड़ा रास्ता पर्याप्त होता हैं जिससे ट्रेक्टर, बैलगाड़ी एवं अन्य कृषि यंत्र बड़ी ही आसानी से आ–जा सकते है ऐसे में लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता निकलना प्राकृतिक न्याय के अनुसार सही नहीं है तथा अनुचित व मनमाना है, वह भी ऐसी स्थिति में जब अपीलाण्ट की आराजी बाकी आस–पास के खातेदारों से बहुत छोटी है तथा उक्त रास्ता निकालने से अपीलाण्ट की कृषि आराजी में भारी कटौती होगी जिससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। अपीलाण्ट के खसरा नं. –1387/5 के लगवा खसरा नं.–1383 रकबा 2.4787 हैक्टेयर है। जो खातेदार अबरार अहमद गौरी पुत्र यूसुफ हिस्सा 4/49 एवं केशव गोयल पुत्र सुनील गोयल हिस्सा 45/49 के नाम दर्ज है जिनका उल्लेख पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में है जिन्हें न्यायहित में आवश्यक पक्षकार बनाना अतिआवश्यक है, विधि सम्मत था ऐसे में इन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से मिसजोइण्डर ऑफ पार्टीज का उल्लंघन होता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स की मांग को बिना उचित जांच व वैकल्पिक रास्तों विचार किये बिना स्वीकार कर लिया जो धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुचित है तथा धारा 251 (क) केवल तभी लागू होती है जब कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो और इस मामले में लगवा पड़ौसी खातेदार खसरा नं.–1383 जो कि अपीलाण्ट की आराजी से कई गुणा बड़ी आराजी का खातेदार दर्ज है जिससे रास्ता देने का अत्यधिक भार भी नहीं होता की आराजी में रास्ता प्रदान किया जा सकता था जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने विचार–विमर्श ही नहीं किया, ना ही प्रकरण में उक्त खातेदार को पक्षकार बनाया गया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पक्ष में प्रस्तुत तथ्यों जैसें रास्ते की चौड़ाई और अन्य खातेदारों की भूमि की उपलब्धता जैसे जरूरी बिन्दुओं पर विचार नहीं किया तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश खारिज किये जाने योग्य है। पुराना रास्ता जो कि खसरा नं.–1384 व 1385 के मध्य वाले सेड़ा से होकर रेस्पोडेन्ट्स की आराजी तक आता था जिसे संबंधित खातेदारों द्वारा अवरूद्ध किया गया है तथा अवरोधित रास्ते को बहाल करवाना रेस्पोडेन्ट क्रम–12 (तहसीलदार) के क्षेत्राधिकार में आता है तथा रेस्पोडन्ट्स क्रम 1 लगायत 11 को रेस्पोडेन्ट क्रम–12 (तहसीलदार) के समक्ष अर्जी लगानी चाहिए थी लेकिन जानबूझकर अपनी सहूलियत व सुविधा के हिसाब से रेस्पोडेन्ट्स ने अवरूद्ध किया हुआ पुराना वैकल्पिक रास्ता नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खुलवाया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व क्रियात्मक आदेश 22.04.2025 की पालना में अपीलाण्ट के खाते की आराजी से रास्ता बहाल होकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया गया तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी क्योंकि अपीलाण्ट के आय का स्त्रोत खसरा नं.–1387/5 की कृषि आराजी ही है जिस पर रास्ता बहाल हो जाने पर पटवारी डग की मौका रिपोर्ट के अनुसार कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.0306 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी जो कि लगभग 17.29 होगा तथा अपीलाण्ट के छोटा खातेदार होने के कारण तथा आस–पास के अन्य बड़े खातेदारों को छोड़कर सम्पूर्ण बोझ छोटे खातेदार पर डाल देना अपने आप में अनुचित व मनमाना है जिससे अपीलाण्ट व उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी जिससे पूरे परिवार का भविष्य के लिए खराब होने की सम्भावना उत्पन्न हो जायेगी जिससे पूरा परिवार भी चितिंत है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व क्रियात्मक आदेश 22.04.2025 को निरस्त फरमाया जाये तथा रेस्पोडेण्ट्स की 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग को अस्वीकार किया जाये और 10 फीट चौड़े रास्ते पर विचार किया जाये यदि आवश्यक हो तब तथा अपीलाण्ट के खसरा नं.–1387/5 के लगवा खसरा नं.–1383 के खातेदार को पक्षकार बनाकर मामले की पुनः सुनवाई के आदेश दिये जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय के अनुरूप नहीं है तथा रेस्पोन्डेंट्स द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतः सही है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (क) राजस्थान टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों का समुचित परीक्षण किये बिना आदेश पारित किया। कानूनन यह आवश्यक है कि जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो, तब किसी एक खातेदार की कृषि भूमि पर अनावश्यक रूप से रास्ता आरोपित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेंट्स ने भी अपनी लिखित बहस में वैकल्पिक रास्ते के अभाव का उल्लेख किया है, जबकि मौका रिपोर्ट, पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि– खसरा नंबर 1384 एवं 1385 के मध्य से होकर पूर्व में रास्ता विद्यमान था और उक्त रास्ता आज भी व्यवहार में लिया जा सकता है। यह रास्ता

(वीरेन्द्र रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सरकारी/अन्य खातेदार भूमि से होकर गुजरता है, न कि अपीलार्थी की सीमित कृषि भूमि से इन महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया है जो की खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर 1387/5, कुल रकबा 0.1770 हेक्टेयर है। यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपीलार्थी की इस भूमि से 20 फीट चौड़ा रास्ता निकाला जाता है तो अपीलार्थी की लगभग 17% से अधिक भूमि प्रभावित होगी जो की अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अपीलार्थी को इससे अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) होगी जबकि कानून का मूल सिद्धांत है कि कम से कम क्षति वाले विकल्प को प्राथमिकता दी जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पटवारी हल्का, डग द्वारा प्रदान की गई मौका रिपोर्ट को आधार सूत्र माना गया है जबकि उक्त रिपोर्ट को प्रभावित किये जाने का पूर्ण अंदेशा है क्योंकि रेस्पोन्डेंट क्रम 9 का पति साजिद हुसेन भू अभिलेख, निरीक्षक है जो की तहसील डग मे ही कार्यरत है तथा रेस्पोन्डेंट क्रम 11 का पुत्र पटवारी है जिन्होंने संभवतः रेस्पोन्डेंट्स को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पटवारी हल्का डग द्वारा प्रदान की गई मौका रिपोर्ट प्रभावित कर अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग न होना लिखवा लिया जबकि रेस्पोन्डेंट्स की आराजी खसरा नं. 1386 तक पंहुचने व आने जाने के 2 वैकल्पिक मार्ग पूर्व से ही मौजूद थे जिस बाबत मोहम्मद इरशाद खान पुत्र हबीब खान, उम्र 61 वर्ष, निवासी वॉर्ड नंबर 7, छोटा तकिया आगर, तहसील एवं जिला आगर मालवा द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 05.06.2026 आलेखित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जो 2 वेकल्पिक मार्ग होना तस्दीक कर रहा है जिससे स्वाभाविक ही मौका रिपोर्ट के असत्य होने की पुष्टि हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आंराजी में से 51 मीटर लंबा जो की लगभग 167 फिट तथा 6 मीटर चौडा यानि लगभग 20 फिट का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है जबकि अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर 1387/5, कुल रकबा 0.1770 हेक्टेयर है व अपीलार्थी के पड़ोसी खातेदार जिसका खसरा नंबर 1383 है जिसकी भूमि से लगभग 25 फिट चौड़ा वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मोजूद है। ऐसी स्थिति में जहां पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो वहाँ से दूसरा रास्ता दिए जाने का आदेश कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। कृषि कार्य के लिए 10 से 12 फिट का रास्ता पर्याप्त होता है की जिसमे ट्रैक्टर बेलगाड़ी एवं अन्य कृषि यंत्र बड़ी ही आसानी से आ जा सकते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 20 फिट का रास्ता केवल अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर 1387/5, कुल रकबा 0.1770 हेक्टेयर से देने का आदेश न्यायोचित नहीं है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेंट्स द्वारा धारा 251 (क) का गलत प्रयोग किया गया है। धारा 251(क) का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो, तब भी सबसे कम क्षति वाला रास्ता चुना जाए व खातेदार के अधिकारों की रक्षा की जाए वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त तीनों शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिससे अधीनस्थ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के तर्कों पर समुचित विचार नहीं किया गया और मौके की रिपोर्ट का गलत आकलन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है इसलिएं भी उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.04.2025 निरस्त किया जाये व रेस्पोन्डेंट्स की रास्ता संबंधी मांग खारिज की जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.04.2025 के विरूद्ध उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जो जेरकार हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं हैं। अपील आधारहीन तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (ए) आर टी एक्ट के प्रावधान रास्ते की अति आवश्यकता होना, वैकल्पिक रास्ता न होना, सबसे लघुतम रास्ता होना एवं डी.एल.सी. से दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान इन समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय जेर अपील पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया यह साबित है कि ग्राम डग .के खसरा नंबर–1386 रकबा 0.6450 हैक्टर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है, इस भूमि के लगवा अपीलान्ट/अकील मोहम्मद की भूमि खसरा 1387/5 रकबा 0.1770 हैक्टर स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट के खाते, कब्जे की भूमि खसरा नंबर 1386 पर आने जाने, बैलगाडी, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने का रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1387/5 मे होकर हैं जो करीब 20 फुट चौडा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी जोत पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 आर टी एक्ट के तहत आवेदन पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) का जवाब पेश किया गया और मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के पेरा नंबर–1 लगायत 8 अस्वीकार किये गये एवं विशेष कथन मे जाहिर किया गया कि प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं। प्रार्थी नंबर–5 हेमलता व प्रार्थी नं० 8 राहुल सोलंकी वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं हैं एवं वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नवीन जैन को पक्षकार नहीं बनाया गया, आराजी पड़त है, अप्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी खसरा नंबर 1387/5 रकबा 0.1770 हैक्टर हडपने की गरज से वैकल्पिक रास्ता होने के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो पोषणीय नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित हैं कि खसरा नंबर 1386 की आराजी रेस्पो० के खाते की हैं एवं खसरा नंबर 1387/25 की 0.1770 हैक्टेयर अपीलान्ट के खाते की है एवं यह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

भी साबित है कि खसरा नंबर 1384 व 1385 के मध्य कोई वैकल्पिक सरकारी रास्ता नहीं है एवं तहसीलदार डग की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 से भी यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में जो वैकल्पिक रास्ता प्रथम बताया गया है। यह अपीलान्ट की आराजी मे होकर है एवं वैकल्पिक द्वितीय रास्ता बताया है, परन्तु यह रास्ता मौके पर नहीं है। यह अन्य खातेदारान की आराजी है, सरकारी गेरमुमकिन रास्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (ए) आर टी एक्ट के प्रावधानो पर उचित गोर फरमाते हुये निर्णय जेर अपील पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट निर्णय के मुताबिक रास्ते के लिये राशि 1,95,352/– रूपये जमा करवा चुका हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमाई जावे एवं निर्णय दिनांक 29.04.2025 बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि कस्बा डग, तहसील डग जमाबंदी संख्या 1924 की कृषि भूमि खसरा नं. 1386 रकबा 0.6450 हेक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है। इस भूमि के लगवा अप्रार्थी अकील मोहम्मद की भूमि खसरा नं. 1387/5 रकबा 0.1770 हैक्टर स्थित है। प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता अप्रार्थी के खाते खसरा नं. 1387/5 के मेड पर होकर है, जो 20 फीट चौडा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्त मोजूद नहीं है। अप्रार्थी शनैः शनैः हांक कर रास्ता तंग कर रहा है। इस संबंध में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में अप्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 14.06.2021 से शंकरलाल व 7 अन्य बनाम अकील मोहम्मद उनवान से प्रकरण संख्या 2021/340 से लम्बित था जिसमें तहसील पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थी का जवाब भी प्रस्तुत हो चुका था किन्तु प्रार्थीगण प्रेमबाई के अतिरिक्त शेष सभी प्रार्थीगण द्वारा अपने हित को अन्तरिक करने पर दिनांक 20.03.2024 को प्रकरण नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया। उक्त प्रकरण के प्रार्थीगण द्वारा अपने हित हिस्से की भूमि मौजूदा प्रार्थीगण को अन्तरित करने तथा उनका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का (Locus standie) कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके की रिपोर्ट डी.एल.सी. दर अनुसार अप्रार्थी की जोत खसरा नं. 1387/5 के दक्षिण मेड पर होकर प्रार्थीगण की आराजी के लिए पहुंच मार्ग 20 फीट चौडा रास्ता को समाविष्ट कर भूमि अधिघृति किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी अकील मोहम्मद जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपने सुविधा एवं सहूलियत के लिये पुराने रास्ते के स्थान पर अप्रार्थी की आराजी में नया रास्ता कायम कराना चाहते है जो धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी कम 5 प्रेमलता व प्रार्थी कम 8 राहुल सोलंकी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं है। प्रार्थीगण ने स्वच्छ हाथों से यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नवीन जैन पुत्र पारसमल जैन को प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त आराजी मौके पर पडत है कृषि उपयोग में नहीं आ रही है। अप्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी को हडपने की गरज से वास्तविक एवं वैकल्पिक रास्ता पूर्व में मौजूद होने के उपंरात भी यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार डग के पत्रांक 181 दिनांक 10.03.2025 से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 1386 पर आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने की नितांत आवश्यकता है। संबंधित पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दो वैकल्पिक रास्ते बताये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंच हेतु तहसीलदार डग की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डग के खसरा नं. 1387/5 में दक्षिणी मेड (खसरा नं. 1383 से लगवा) के सहारे 51 मीटर लम्बा व 6 मीटर चोडा रास्ता यानि 306 वर्गमीटर यानि 0.0306 हैक्टर डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

प्रस्तुत अपील के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय क पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि खसरा नं. 1384 एवं 1385 के मध्य रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट के पडोसी खातेदार जिसका खसरा नं. 1383 है इस भूमि से लगभग 25 फिट चौडा वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है, इस कथन की पुष्टि भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से नहीं होती। खसरा नं. 1383 में कोई रिकार्डेड रास्ता होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से साबित नहीं होता। अपीलांट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं कि खसरा नं. 1383 के खातेदार को पक्षकार बनाकर मामले की पुनः सुनवाई के आदेश दिये जावे क्योंकि अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाब प्रार्थना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पत्र पेश किया गया है उसमें खसरा नं. 1383 के खातेदार को पक्षकार बनाने या खसरा नं. 1387/5 व खसरा नं. 1383 की मध्य मेड पर रास्ता कायम करने के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार डग की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ग्राम डग के खसरा नं. 1386 रकबा 0.6450 हेक्टर भूमि पर जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है, ना ही कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग है। रास्ते के अभाव में उक्त भूमि पडत पडी हुई है। प्रार्थी रेस्पोडेंटगण द्वारा खसरा नं. 1387/5 की दक्षिणी मेड पर रास्ता चाहा है, राजस्व रिकार्ड में कोई रिकार्डेड वैकल्पिक मार्ग दर्ज होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से साबित नहीं होता एवं अप्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 1383 के खातेदारान को पक्षकार बनाने एवं खसरा नं. 1383 व खसरा नं. 1387/5 की मध्य मेड पर रास्ता कायम करने हेतु कोई अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से नहीं चाहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप होने एवं राजस्व रिकार्ड में वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता को देखते हुए विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा